भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3364

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में यौन उत्पीड़न

3364. श्री जयदेव गल्ला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के दिनों में कुछ न्यायालय परिसरों में हुई घटित यौन उत्पीड़न की घटनाओं का सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त मामलों/दर्ज की गई शिकायतों का आंध्र प्रदेश सहित न्यायालय-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में न्यायालय परिसरों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : जी नहीं । महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 1 की उपधारा (2) के अनुसार, अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ; और धारा 2 (परिभाषाएं) में दिए गए उपबंधों के अनुसार, अधिनियम अन्य बातों के साथ कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण आदि द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है, को कवर करता है ।

न्याय विभाग में इस संबंध में फाईल किए गए मामलों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित और अनुरक्षित नहीं की जाती है क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों, न्यायाधीशों/ न्यायिक अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के लिए अनुशासनिक प्राधिकरण हैं ।

****